**बिहार सरकार**

**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

**संकल्प**

संचिका संख्या–5/आ0–1–106/2012– 9641 पटना, दिनांक– 25/11/16

श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना द्वारा बिना निविदा/कोटेशन आमंत्रित किये मेसर्स निकहट लेदर इन्डस्ट्रीज, महाजन टोली नं0–1, आरा को छपरा, सिवान एवं गोपालगंज प्रमंडल में करोड़ों रूपये का आपूर्ति आदेश देने का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त आरोपों की जांच त्रिसदस्यीय समिति द्वारा करायी गयी। उक्त समिति द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्व सभी आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया। फलतः प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

2. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सिंह के विरूद्व अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अचंल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम –43 (बी) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण अंचल संख्या–4 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

3. आरोपित श्री सिंह, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है निर्धारित समय–सीमा के भीतर जांच कार्य सम्पन्न कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/11/16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

sankalp mith A

ज्ञापांक--5/आ0-1-106/2012- 964 पटना, दिनांक-25/11/16

प्रतिलिपिः- श्री बिनोद कुमार सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अचंल, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त, मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना, पता-A4 सिद्वार्थ अपार्टमेंट, जगदेव पथ, डाकघर-भेटनरी कॉलेज, थाना-हवाई अड्डा, पटना/ विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री सादुल्लाह जावेद, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण अंचल संख्याः-4 को संकल्प की प्रति एवं आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक--5/आ0-1-106/2012- 964 पटना, दिनांक-25/11/16

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव